(2)

मु.नं.–46 / 2020 GCMS ID-2020/00090 ता.रजु–11.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

दीना मीना पुत्र श्री जयलाल मीना, ग्राम व पोस्ट–मोंगेपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–02.11.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 एवं गुर्जर आरक्षण आंदोलन में कानून व्यवस्था के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 28.09.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 26.10.2020, 28.10.2020 व 02.11.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत मोंगेपुरा के ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध सीसीए रूल्स 16 के तहत प्रस्तावित / विचाराधीन कार्यवाही के संबंध में कुल 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–जिपक / आरटीआई / 2020 / 783–784 दिनांक 21.09.2020 की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित कर अपीलार्थी को अपने विनिश्चय " माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या 22 / 2009 कैनरा बैंक बनाम सी.एस. श्याम में पारित निर्णय एवं अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के अनुसार व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है" से अवगत करवा दिया गया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
7. इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त विनिश्चय पर अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने एवं अपीलार्थी को सुनवाई हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी उक्त विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली